न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 62/2023 (उदयपुर डिक्री)

पूरणमल पिता स्वर्गीय उदा उर्फ उदयराम खटीक, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कंचन बाई पत्नी स्वर्गीय देवीलाल जी डांगी (पटेल), निवासी डांगीवाडा (पटेलवाडा), सलुम्बर (राज.)
2. भंवरलाल पिता स्वर्गीय उदा उर्फ उदयराम खटीक, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक 03–08–2022 प्रकरण संख्या 36/04

———/———

उपस्थित :– 1– श्री लोकेश मेनारिया अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री आलोक जैन अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

———::———

निर्णय दिनांक 21–08–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय उदा उर्फ उदयराम ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मानुपरा वादी के खातेदारी की आराजी नंबर 376/1, 387, 388 कुल किता 3 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है, जो हीरालाल पिता बिहारीलाल माथुर के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की थी, जिसे खातेदार ने बिल एवज 900/– रूपये में दिनांक 13–07–1957 को वादी को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, जिसके पड़ोस वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर वादी क्रय दिनांक से काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते है। अतः वादी का वाद स्वीकार प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:01 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 13—12—1990 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती कंचनबाई ने भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में अपील प्रस्तुत की, जो न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 8/2000 दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 25—02—2004 को अपील स्वीकार प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को तीन अतिरिक्त तनकियां कायम कर पुनः दोनों पक्षों को साक्ष्य का अवसर देकर निर्णय किये जाने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया।

न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पूर्व में वाद संख्या 54/79 में कायम शुदा 4 तनकियां एवं वाद संख्या 82/79 में कायम शुदा 6 तनकिया तथा न्यायालय हाजा के आदेशानुसार 3 अतिरिक्त तनकियां कायम कर तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 03—08—2022 को हाल आराजी नंबर 496 से 510, 526, 527 कुल किता 17 रकबा 2.3100 हैक्टर बाबत् वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए हाल आराजी नंबर 525 रकबा 0.9000 हैक्टर एवं 551 रकबा 0.0100 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.9100 का खातेदार घोषित करते हुए उक्त आराजी नंबर 525 व 551 वादीगण के खाते से कम कर प्रतिवादी कंचनबाई के नाम दर्ज करने का आदेश देते हुए वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17—08—2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक जैन उपस्थित हुई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। अभी हाल में जब विपक्षी मौके पर भूमि दलालों के साथ आये एवं उक्त भूमि उनके द्वारा क्रय किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:01 IST
Reason: SelfAttested

बताया, तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर हुई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक न्यायिक दृष्टान्त जो प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं, उनकी गलत व्याख्या की है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख के अस्तित्व में होते हुए भी विक्रय इकरार जो वादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के करीब 3 माह पूर्व का है, उसे सही होना मानकर पंजीकृत विलेख को गलत मानने में गम्भीर त्रुटि की है। विक्रेता एवं प्रतिवादी ने षडयन्त्र रचकर वादी को नुकसान पहुंचाने की गरज से कथित इकरार किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के मुकाबले विक्रय इकरार के आधार पर निर्णय करने में विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे अपीलान्ट का वाद पूर्ण रूप से स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के अनुरूप ही निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने कायम तनकियात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन करते हुए अपने विस्तृत विवेचन में यह माना कि "जहां दोनों पक्ष वादग्रस्त भूमि को अपने–अपने मालिकाना हक की बताते हैं, तो वहां पर स्वामित्व के विवाद स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में तय नहीं हो सकते, यहां पर वादी का वाद स्थायी निषेधाज्ञा का होने से वादी वाद में किसी प्रकार की [illegible] नहीं [illegible] सकता है। वादी के गवाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:01 IST
Reason: SelfAttested

ने वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नहीं माना एवं प्रदर्श 3 विक्रय इकरार से स्पष्ट है कि हीरालाल माथुर ने वादग्रस्त भूमि पहले भेरा जोगी को विक्रय कर चुका था एवं उसके बाद हीरालाल माथुर ने भूल से अथवा जानबूझकर दुबारा वादी को वादग्रस्त भूमि 5 बीघा 1 बिस्वा विक्रय करने से वादी को वादग्रस्त भूमि में कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए वादी का वादग्रस्त भूमि रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, जिसके हाल आराजी नंबर 525 रकबा 0.9000 एवं आराजी नंबर 551 रकबा 0.0100 हैक्टर कुल रकबा 0.9100 हैक्टर तक वादी का वाद स्थायी निषेधाज्ञा का निरस्त किया जाता है एवं हाल आराजी नंबर 525 व 551 क्रोस वादकर्ता प्रतिवादी को घोषित कर वादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।'' अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट होता है, क्योंकि जिस आराजी पर अपीलान्ट/वादी का कब्जा ही साबित नहीं हुआ है उस आराजी के संबंध में बिना कब्जेयाबी का वाद लाये उसके पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का विक्रय इकरार वादी/ अपीलान्ट के विक्रय पत्र के पूर्व का होने के कारण तथा उक्त विक्रय इकरार साक्ष्यों से प्रमाणित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/ रेस्पोन्डेन्ट को आराजी नंबर 525 रकबा 0.9000 एवं आराजी नंबर 551 रकबा 0.0100 हैक्टर कुल रकबा 0.9100 हैक्टर का खातेदार घोषित किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के प्ररिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 03–08–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:01 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

पूरणमल पिता स्व. उदा उर्फ उदयराम खटीक, निवासी सलुम्बर, तह. सलुम्बर, जिला सलुम्बर। *बनाम* **श्रीमती कंचनबाई पत्नी स्व. देवीलाल डांगी (पटेल), निवासी डांगीवाडा, सलुम्बर व अन्य**

अपील नं.....**62 / 2023**....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी..... सलुम्बर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....03**.....माह.....**08**.....**2022**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**08**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री लोकेश मेनारिया**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री आलोक जैन .....**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 03–08–2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**08**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:01 IST
Reason: SelfAttested